पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर (छ0ग0)

//अधिसूचना//

क्र0..573../अका/2001, रायपुर, दि0 ..26 मई, 2001.

विश्वविद्यालय के समन्वय समिति (छत्तीसगढ़ शासन) ने अपनी प्रथम बैठक दिनांक 22-02-2001 को अंश "क" (सामान्य"ग" अध्यादेश 1 एवं "ग" परिनियम को निम्नानुसार अनुमोदित किया -

भाग- "क" (सामान्य)

विषय क्रमांक-01 (1) परिसरों में रेगिंग रोकना ।

रेगिंग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक एवं प्रतिरोधात्मक कार्यवाही को प्रभावी ढंग से लागू किया जावे । साथ-साथ वर्तमान में प्रचलित सामान्य कानून के प्रावधानों अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे । इसके अतिरिक्त, म0प्र0 शासन द्वारा तैयार की गई रेगिंग विरोधी कानून के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के एक्ट की रचना की जाए ।

रेगिंग की प्रथा को रोके जाने के लिए संस्था प्रमुख, शिक्षकों एवं छात्रों के सामूहिक प्रयास के द्वारा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित किये जाने हर संभव प्रयास किया जावे ।

(2) आवश्यक अधोसंरचना प्रदान करना

संस्थानों विशेष रूप से छात्रावासों में मूल-भूत सुविधाओं की आपूर्ति, सुनिश्चित किये जाने हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को स्वयं के श्रोतों से आवश्यक संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाना चाहिये । इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विभागों के माध्यम से कन्सल्टेन्सी के द्वारा पर्याप्त संसाधन जुटाये जा सकते हैं ।

विषय क्र0-2 नगण्य छात्र संख्या वाले विषयों को बन्द करना एवं पदों की पुनर्संरचना

निर्णय लिया गया कि ऐसे विषय पाठ्यक्रम, जो कि वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक हो गये हैं, एवं जिनमें छात्रों की संख्या नगण्य है, उन्हें बन्द करते हुए उनसे संबंधित शिक्षकों/कर्मचारियों के अन्यत्र उपयोग के संबंध में विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण एक कार्य योजना/प्रस्ताव अधिकतम तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करें । इस संबंध में बन्द किये जाने वाले पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षकों/कर्मचारियों के अन्यत्र उपयोग हेतु उन्हें समुचित ट्रेनिंग दिये जाने आदि पर भी विचार किया जा सकता है ।

.....2/

विषय क्रं0-05 — उच्चशिक्षा सुविधाओं के उन्नयन एवं गुणात्मक विकास

उच्चशिक्षा सुविधाओं के उन्नयन एवं गुणात्मक विकास हेतु हर संभव प्रयास किये जाने के संबंध में महामहिम कुलाधिपति, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय शिक्षा मंत्री सहित समस्त सदस्यगणों ने समेकित प्रयास किये जाने की आवश्यकता निरूपित की । इस संबंध में निर्णय लिया गया कि-

(1) अकादमिक विकास योजना एवं-मूल्यांकन मण्डल (एकाडमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट), जो कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में गठित है, को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाये, जिससे शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवीनता एवं सार्थकता आये ।

(2) विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डलों में संबंधित विषय के अखिल भारतीय स्तर के विद्वानों का अनिवार्यता सम्मिलित किया जावे ताकि पाठ्यक्रम निरन्तर अद्यतन होते रहे एवं शैक्षणिक स्तर में वांछित उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा सके । विश्वविद्यालय अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक विषय के अध्ययन मण्डल में अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के बाहर से विशेषज्ञों को शामिल किया जावे, तथा यूजर एजेन्सी से सदस्यों को नामांकित की जावे । अध्ययन मण्डल की बैठक में इन विद्वानों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हों ।

(3) विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदानआयोग द्वारा दी गई अनुदान राशि के समय सीमा में उपयोग न किये जाने की स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त कीगई एवं निर्णय लिया गया, कि संचालक, महाविद्यालयीन विकास प्रकोष्ठ, (डी0सी0डी0सी0) प्रभावकारी भूमिका निबाहें तथा वे प्रत्येक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में यू0जी0सी0 द्वारा दी गई अनुदान राशि की समुचित एवं समय सीमा में उपयोग सुनिश्चित करें ।

विषय-क्रं0-08 — पुनर्मूल्यांकन एवं गोपनीय कक्ष कार्यप्रणाली सुधार बाबत् ।

निर्णय लिया गया कि स्थायी समिति में पुनर्मूल्यांकन एवं गोपनीय कार्य की कार्यप्रणाली के लिये जिस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ था, उस पर विचार कर पुनर्मूल्यांकन पद्धति में विश्वसनीयता एवं सुधार के परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शिका निर्धारित करने हेतु प्रो0 एच0पी0दीक्षित, कुलपति, म0प्र0 भोज मुक्त विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जावे । डॉ0 आर0के0 सिंग, कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, एवं डॉ0 रविन्द्रकुमार उप सचिव, यू0जी0सी0 मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल इस - समिति के सदस्य होंगे । यह समिति गठन की अधिसूचना जारी होने से एक माह की समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकायों के पन्द्रह ऐसे प्रकरण-

चिन्हित किये जायेंगे, जिनमें पुनर्मूल्यांकन एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों का अन्तर सर्वाधिक हो, ऐसे प्रकरणों का एक उच्च स्तरीय समिति, जिसमें कि उस विषय से संबंधित प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ प्राध्यापक होंगे, द्वारा परीक्षण कर यह प्रतिवेदित किया जायेगा, कि प्राप्तांकों में इतना अन्तर क्यों आया ? इस संबंध में दोषी पाये गये शिक्षक/कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे ।

विषय क्रमांक-11

अंश-दायी भविष्य निधि की कटौत्रा

समिति को अवगत कराया गया कि ई0पी0एम0एक्ट (1952) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। पेंशन योजना लागू होने के वर्ष 1987 में अंशदान की राशि 8.33 थी । बिना इस बात की समुचित निर्धारण किये तदर्थ रूप से इस योजना को लागू करते वक्त सी0पी0एफ0 अंशदान के नियोक्ता भाग का निर्धारण कर राशि को विश्वविद्यालयों को माहवारी शासन द्वारा प्रदाय किये जाने वाले ग्रांण्ट से काटकर विश्वविद्यालय पेंशन फण्ड में जमा की जाती रही है । यह राशि वास्तविक रूप से फण्ड में जमा की जाने वाली राशि के तुल्य नहीं है । ई0पी0एम0एस0 एक्ट-1952 के सेक्शन-6 के तहत् सी0पी0एफ0 अंशदान की राशि मूल वेतनों - " मूल वेतन + डियरनेस एलाउन्स एवं रिटेनिंग एलाउन्स आदि कुछ है, को जोड़कर " पर काटी जानी चाहिये थी । परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया । भारत शासन के ई0पी0एम0एस0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि की कटौत्रा राशि में समय-समय पर वृद्धि की है, एवं दि0 01-06-89 से 21-09-99 तक 10 प्रतिशत की दर से एवं - 22-08-99 से आगे 12 प्रतिशत की दर से सी0पी0एफ0अंशदान काटा जाना है । अतः निर्णय लिया गया, कि उपरोक्तानुसार सी0पी0एफ की नियोक्ता अंशदान की राशि विश्वविद्यालयों से ली जावे। यदि विश्वविद्यालयों द्वारा पेंशन हेतु पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों शिक्षकों के नियोक्ता अंशदान के उपरोक्त गणनानुसार वांछित राशि कोष में नहीं जमा की जाती है, तो उक्त राशि विश्वविद्यालयों के मेंटेनेन्स ग्राण्ट से काट ली जावे ।

भाग-"क-अध्याय" पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अध्यादेश क्रमांक- 03 में संशोधन - अध्यादेश क्रमांक-03 एवं परिनियम क्रमांक-10 की तालिका क्रमांक-03 में इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन बोर्ड के प्रावधानयुक्त संशोधन अनुमोदित किया गया है ।

अध्या0क्र0-22 में संशोधन- अध्यादेश क्रमांक-22 " मास्टर ऑफ साइंस एक्जामिनेशन" की कण्डिका (2) के द्वितीय परन्तुक में निम्नलिखित अंश जोड़ने की प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया- FOR ADMISSION IN M.Sc. (Prev.)

अध्या0क्र0-04 में संशोधन- QUALIFICATION AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF TEACHERS IN THE UNIVERSITY TEACHING DEPTT.AND SCHOOL OF STUDIES."

प्रस्तावित संशोधन पर विचार स्थगित रखा गया ।

भाग- "ग" परिनियम- पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)

परिनियम क्रमांक-01 में कुलपति के वेतन रू0 7,600.00 - प्रतिमाह के स्थान पर रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार) प्रतिमाह किये जाने से संबंधित संशोधन का अनुमोदन किया गया। यह भी अनुमोदित किया गया कि यह संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में दिनांक 01-01-1996 से प्रभावी होगा ।

प्रस्ताव का औचित्य- मध्यप्रदेश शासन, उच्चशिक्षा, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-01/233/99-38/99, दिनांक 11-10-1999 के परिप्रेक्ष्य में कुलपति के वेतन दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित हुआ है। परिनियम क्रमांक-01 में कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2000 को उपर्युक्त संशोधन की स्वीकृति प्रदान की ।

स्थायी समिति का अभिमत प्रस्ताव पर चर्चा हुई, तथा परिनियम क्रमांक 01 में उपर्युक्त संशोधन करते हुए समन्वय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखने का निर्णय लिया गया, साथ ही इसे छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों में दि0 01-01-1996 से लागू करने की अनुशंसा की गई ।

कुलसचिव

000000000

पृष्ठांकन क्रं0.574./अका/2001, रायपुर, दि0.... 26 मई, 2001

प्रतिलिपि-

1/ समस्त संकायाध्यक्ष,
2/ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के समस्त प्राचार्यगण,
3/ कुलसचिव, छत्तीसगढ़ के समस्त विश्वविद्यालय, (कृषि/संगीत विश्वविद्यालय को छोड़कर),
4/ अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएं,
5/ सहायक निर्देशक, आवासीय अंकेक्षण, प्रभारी अध्ययनकेन्द्र, जगदलपुर,
6/ निर्देशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्,
7/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण मण्डल,
8/ विश्वविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुख,

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधि0 (अका0)